प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCB / 01 / 2017–18 / 11827-75 दिनांक : 13.2.2018

विषय : राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपदवार अवमुक्त द्वितीय किश्त की धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2017–18 के लिए आर0ओ0पी0 एफ0एम0आर0 कोड सं0– I एवं B के अन्तर्गत रू0 5939.27 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

2. उपरोक्त विषयांक के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जनपदवार **Manpower Salary, Cataract Operation for NGO Sec & Cataract Operation for Govt** के लिये कुल रु0 967.77 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिका के अनुसार अवमुक्त की गयी है–

Release Date 30/01/2018 Payment Advice No. C011815406650

Sl.	District Name	I.1.1 Cataract Operation for NGO Sec. @Rs.1000/	B.16.2.11.4.a Cataract Operation for Govt.@ Rs.450/-	B.30.3.4 Salary of 11Contractual Ophthalmic Surgeon @ Rs 66000/- Or 60000	B.30.11.13 Ophthalmic Assistant @12600/ Or 12000	B.30.11.1 Eye Donation Counselors @ 15750/	I.3.4 contracual DEO @ 8400 & other dis. Lum-sum amount for outsoursing	Total Allotment for Districts
1	Agra	0.00	0.00	3.96	0.76	0.95	0.17	5.83
2	Aligarh	38.61	17.37	0.00	0.00	0.95	0.17	57.09
3	Allahabad	0.00	0.00	3.96	0.76	0.95	0.17	5.83
4	Ambedkar Nagar	10.28	0.00	0.00	0.76	0.00	0.17	11.20
5	Amethi	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.17	4.51
6	Amroha	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.17	4.62
7	Auraiya	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
8	Azamgarh	13.94	9.41	0.00	0.00	0.00	0.17	23.52
9	Bagpath	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.17	3.93
10	Bahraich	14.90	0.00	0.00	0.76	0.00	0.17	15.82
11	Ballia	8.29	9.32	0.00	0.00	0.00	0.17	17.78
12	Balrampur	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	9.37
13	Banda	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.17	5.37
14	Barabanki	13.96	0.00	0.00	0.76	0.00	0.17	14.88
15	Bareilly	0.00	12.91	0.00	0.76	0.00	0.17	13.84
16	Basti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
17	Bijnore	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	9.64
18	Badaun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
19	Blandshahar	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.17	10.28
20	Chandauli	10.62	4.78	0.00	0.00	0.00	0.17	15.57
21	Chitrakut	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.17	3.03
22	Deoria	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	20.08
23	Etah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17

Sl.	District Name	I.1.1 Cataract Operation for NGO Sec. @Rs.1000/	B.16.2.11.4.a Cataract Operation for Govt.@ Rs.450/-	B.30.3.4 Salary of 11Contractual Ophthalmic Surgeon @ Rs 66000/- Or 60000	B.30.11.13 Ophthalmic Assistant @12600/ Or 12000	B.30.11.1 Eye Donation Counselors @ 15750/	I.3.4 contracual DEO @ 8400 & other dis. Lum-sum amount for outsoursing	Total Allotment for Districts
24	Etawah	4.06	0.00	3.96	0.76	0.00	0.17	8.94
25	Faizabad	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.17	7.31
26	Farrukhabad	0.00	5.46	0.00	0.76	0.00	0.00	6.21
27	Fatehpur	16.92	7.61	0.00	0.00	0.00	0.17	24.70
28	Firozabad	0.00	0.00	3.96	0.76	0.00	0.17	4.88
29	Gautambudh Nagar	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
30	Gaziyabad	20.52	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
31	Ghazipur	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
32	Gonda	0.00	9.92	3.96	0.76	0.00	0.17	14.81
33	Gorakhpur	14.40	16.20	3.96	0.76	0.95	0.17	36.44
34	Hamirpur	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.17	1.45
35	Hapur	3.08	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
36	Hardoi	10.52	11.83	0.00	0.00	0.00	0.17	22.52
37	Hathras(M.M.Nagar)	10.06	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
38	Jalaun	4.29	15.00	0.00	0.76	0.00	0.17	20.22
39	Jaunpur	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
40	Jhansi	25.36	0.00	0.00	0.76	0.95	0.17	27.23
41	Kannuaj	10.65	0.00	0.00	0.76	0.00	0.17	11.58
42	Kanpur(Dehat)	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.17	2.24
43	Kanpur(Urban)	0.00	21.66	3.96	0.76	0.95	0.17	27.49
44	Kashganj	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.17	1.83
45	Kaushambi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
46	Kushinagar	11.44	5.15	0.00	0.00	0.00	0.17	16.76
47	Kheri	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
48	Lalitpur	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
49	Lucknow	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95
50	Maharajganj	8.56	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27
51	Mahoba	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.17	2.70
52	Mainpuri	5.94	5.34	0.00	0.00	0.00	0.17	11.44
53	Mathura	35.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.17	38.84
54	Mau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Meerut	23.58	8.49	3.96	0.76	0.95	0.17	37.89
56	Mirzapur	16.03	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
57	Moradabad	30.46	13.71	3.96	0.76	0.00	0.17	49.05
58	Muzaffar Nagar	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	19.05
59	Pilibhit	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
60	Pratapgarh	20.39	9.18	0.00	0.00	0.00	0.17	29.74
61	Raibareilly	8.75	3.94	3.96	0.76	0.00	0.17	17.57
62	Rampur	8.47	7.62	0.00	0.00	0.00	0.17	16.26
63	Saharanpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
64	Sambhal	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
65	Sant Kabir Nagr	5.51	4.96	0.00	0.00	0.00	0.17	10.63
66	Sant Ravi das Nagar	9.99	4.49	0.00	0.00	0.00	0.17	14.65
67	Shahjahanpur	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.17	4.51
68	Shamli	3.08	3.47	0.00	0.00	0.00	0.17	6.72
69	Shravasti	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
70	Siddharthnagar	8.20	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
71	Sitapur	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
72	Sonbhadra	4.79	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
73	Sultanpur	14.72	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35
74	Unnao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17

Sl.	District Name	I.1.1 Cataract Operation for NGO Sec. @Rs.1000/	B.16.2.11.4.a Cataract Operation for Govt.@ Rs.450/-	B.30.3.4 Salary of 11Contractual Ophthalmic Surgeon @ Rs 66000/- Or 60000	B.30.11.13 Ophthalmic Assistant @12600/ Or 12000	B.30.11.1 Eye Donation Counselors @ 15750/	I.3.4 contracual DEO @ 8400 & other dis. Lum-sum amount for outsoursing	Total Allotment for Districts
75	Varanasi	13.24	0.00	3.96	0.76	0.95	0.17	19.07
Total UP		557.74	334.53	43.56	14.37	8.51	9.07	967.77

3. वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेण्ड अवशेष धनराशि को समायोजित करते हुये उपरोक्त जनपदवार तालिका में अंकित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी है एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 275.00 प्रति चश्मा की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उन आयुवर्ग के बच्चों के लिये अवमुक्त की जा रही है जो बच्चें राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हो रहें है। अतः जिला अंधता नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग उक्त आयुवर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत टीमों के माध्यम से चश्मा वितरण में करेगें।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अन्तर्गत टी0ओ0आर0 के अनुसार ही सुनिश्चित की जाये।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों मे निम्न मुख्य गतिविधियां सम्पादित की जानी है :

FMR Code – I.1.1 मोतियाबिन्द ऑपरेशन एन0जी0ओ0 क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा रू 1000/आपरेशन की दर से।

FMR Code – B.16.2.11.4A मोतियाबिन्द ऑपरेशन राजकीय क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा रू 450/ आपरेशन की दर से।

FMR Code –I.1.2 मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा, विभिन्न रोगों हेतु निर्धारित दर से।

FMR Code –I.1.3 स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण रू0 275.00/केस की दर से।

FMR Code –I.1.4 राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग(रिफैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त नि:षुल्क चष्मा वितरण रू0 100/चश्में की दर से।

FMR Code –I.1.5 नेत्र बैंको द्वारा कार्निया दान में प्राप्त कर प्रत्यारोपण रू0 2000 प्रति जोड़ी की दर से करना।

FMR Code –I.1.8 उपलब्ध नेत्रशल्यकिया के उपकरणों का वार्षिक रखरखाव के हेतु AMC प्रति जनपद रू0 200000/ से किया जाना है।

FMR Code – I.2.3 प्रदेश में प्रति जनपद एक नये विजन सेन्टर की स्थापना हेतु रू0 100000/ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code -I.4.1 में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र के कार्यालय में रू0 250000/ की धनराशि से 01 कम्प्यूटर, 01 यू0पी0एस0, 01 फोटोकॉपीयर कम स्कैनर,

मासिक कन्टेनजेन्सी तथा मासिक अन्य कार्यालय क्रय एवं व्यय आदि एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमावली के आधार पर जनपदों द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

FMR Code –B.30.3.4 में सम्बन्धित 17 जनपदों में 01 नेत्र शल्यक प्रति माह रू0 60000.00 की दर से वेतन एवं 11 जनपदों में प्रति माह रू0 66000.00 की दर से वेतन 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code –B.30.11.13 में सम्बन्धित 19 जनपदों में 01 नेत्र सहायक प्रति माह रू0 12600.00 की दर से वेतन एवं 09 जनपदों में प्रति माह रू0 12000.00 की दर से वेतन 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code –B.30.11.1 में सम्बन्धित 09 जनपदों में 01 नेत्र काउन्सलर प्रति माह रू0 15750.00 की दर से वेतन 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code –I.3.4 में सम्बन्धित 54 जनपदों में 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रति माह रू0 8400.00 की दर से 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है एवं सम्बन्धित 21 जनपदों कों आउटर्सोसिग के माध्यम से कुल 4580.00 की धनराशि 12 माह हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

10. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा– निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय अंधता नियत्रंण कार्यक्रम में रिकरिंग मद में आवंटित धनराशि को अन्य रिकरिंग मद में जनपद द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन प्राप्त कर जनपद में उपरोक्त संसाधनानुसार अनुपात कें परिवर्तन कर धनराशि वित्तीय नियमों के अनुरुप व्यय की जा सकंती है।

11. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

12. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

13. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

15. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

16. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

17. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCB/01/2017–18/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCB / 01 / 2017–18 / दिनांक : 13.2.2018

विषय : राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपदवार अवमुक्त द्वितीय किश्त की धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2017–18 के लिए आर0ओ0पी0 एफ0एम0आर0 कोड सं0– I एवं B के अन्तर्गत रू0 5939.27 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

2. उपरोक्त विषयांक के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जनपदवार **Manpower Salary, Cataract Operation for NGO Sec & Cataract Operation for Govt** के लिये कुल रु0 967.77 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिका के अनुसार अवमुक्त की गयी है–

Release Date 30/01/2018 Payment Advice No C011815406650

Sl.	District Name	I.1.1 Cataract Operation for NGO Sec. @Rs.1000/	B.16.2.11.4.a Cataract Operation for Govt.@ Rs.450/-	B.30.3.4 Salary of 11Contractual Ophthalmic Surgeon @ Rs 66000/- Or 60000	B.30.11.13 Ophthalmic Assistant @12600/ Or 12000	B.30.11.1 Eye Donation Counselors @ 15750/	I.3.4 contracual DEO @ 8400 & other dis. Lum-sum amount for outsoursing	Total Allotment for Districts
1	Agra	0.00	0.00	3.96	0.76	0.95	0.17	5.83
2	Aligarh	38.61	17.37	0.00	0.00	0.95	0.17	57.09
3	Allahabad	0.00	0.00	3.96	0.76	0.95	0.17	5.83
4	Ambedkar Nagar	10.28	0.00	0.00	0.76	0.00	0.17	11.20
5	Amethi	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.17	4.51
6	Amroha	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.17	4.62
7	Auraiya	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
8	Azamgarh	13.94	9.41	0.00	0.00	0.00	0.17	23.52
9	Bagpath	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.17	3.93
10	Bahraich	14.90	0.00	0.00	0.76	0.00	0.17	15.82
11	Ballia	8.29	9.32	0.00	0.00	0.00	0.17	17.78
12	Balrampur	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	9.37
13	Banda	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.17	5.37
14	Barabanki	13.96	0.00	0.00	0.76	0.00	0.17	14.88
15	Bareilly	0.00	12.91	0.00	0.76	0.00	0.17	13.84
16	Basti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
17	Bijnore	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	9.64
18	Badaun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
19	Blandshahar	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.17	10.28
20	Chandauli	10.62	4.78	0.00	0.00	0.00	0.17	15.57
21	Chitrakut	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.17	3.03
22	Deoria	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	20.08
23	Etah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17

Sl.	District Name	I.1.1 Cataract Operation for NGO Sec. @Rs.1000/	B.16.2.11.4.a Cataract Operation for Govt.@ Rs.450/-	B.30.3.4 Salary of 11Contractual Ophthalmic Surgeon @ Rs 66000/- Or 60000	B.30.11.13 Ophthalmic Assistant @12600/ Or 12000	B.30.11.1 Eye Donation Counselors @ 15750/	I.3.4 contracual DEO @ 8400 & other dis. Lum-sum amount for outsoursing	Total Allotment for Districts
24	Etawah	4.06	0.00	3.96	0.76	0.00	0.17	8.94
25	Faizabad	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.17	7.31
26	Farrukhabad	0.00	5.46	0.00	0.76	0.00	0.00	6.21
27	Fatehpur	16.92	7.61	0.00	0.00	0.00	0.17	24.70
28	Firozabad	0.00	0.00	3.96	0.76	0.00	0.17	4.88
29	Gautambudh Nagar	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
30	Gaziyabad	20.52	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
31	Ghazipur	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
32	Gonda	0.00	9.92	3.96	0.76	0.00	0.17	14.81
33	Gorakhpur	14.40	16.20	3.96	0.76	0.95	0.17	36.44
34	Hamirpur	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.17	1.45
35	Hapur	3.08	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
36	Hardoi	10.52	11.83	0.00	0.00	0.00	0.17	22.52
37	Hathras(M.M.Nagar)	10.06	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
38	Jalaun	4.29	15.00	0.00	0.76	0.00	0.17	20.22
39	Jaunpur	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
40	Jhansi	25.36	0.00	0.00	0.76	0.95	0.17	27.23
41	Kannuaj	10.65	0.00	0.00	0.76	0.00	0.17	11.58
42	Kanpur(Dehat)	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.17	2.24
43	Kanpur(Urban)	0.00	21.66	3.96	0.76	0.95	0.17	27.49
44	Kashganj	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.17	1.83
45	Kaushambi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
46	Kushinagar	11.44	5.15	0.00	0.00	0.00	0.17	16.76
47	Kheri	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
48	Lalitpur	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
49	Lucknow	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95
50	Maharajganj	8.56	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27
51	Mahoba	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.17	2.70
52	Mainpuri	5.94	5.34	0.00	0.00	0.00	0.17	11.44
53	Mathura	35.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.17	38.84
54	Mau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Meerut	23.58	8.49	3.96	0.76	0.95	0.17	37.89
56	Mirzapur	16.03	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
57	Moradabad	30.46	13.71	3.96	0.76	0.00	0.17	49.05
58	Muzaffar Nagar	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	19.05
59	Pilibhit	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
60	Pratapgarh	20.39	9.18	0.00	0.00	0.00	0.17	29.74
61	Raibareilly	8.75	3.94	3.96	0.76	0.00	0.17	17.57
62	Rampur	8.47	7.62	0.00	0.00	0.00	0.17	16.26
63	Saharanpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
64	Sambhal	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
65	Sant Kabir Nagr	5.51	4.96	0.00	0.00	0.00	0.17	10.63
66	Sant Ravi das Nagar	9.99	4.49	0.00	0.00	0.00	0.17	14.65
67	Shahjahanpur	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.17	4.51
68	Shamli	3.08	3.47	0.00	0.00	0.00	0.17	6.72
69	Shravasti	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
70	Siddharthnagar	8.20	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
71	Sitapur	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
72	Sonbhadra	4.79	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
73	Sultanpur	14.72	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35
74	Unnao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17

Sl.	District Name	I.1.1 Cataract Operation for NGO Sec. @Rs.1000/	B.16.2.11.4.a Cataract Operation for Govt.@ Rs.450/-	B.30.3.4 Salary of 11Contractual Ophthalmic Surgeon @ Rs 66000/- Or 60000	B.30.11.13 Ophthalmic Assistant @12600/ Or 12000	B.30.11.1 Eye Donation Counselors @ 15750/	I.3.4 contracual DEO @ 8400 & other dis. Lum-sum amount for outsoursing	Total Allotment for Districts
75	Varanasi	13.24	0.00	3.96	0.76	0.95	0.17	19.07
Total UP		557.74	334.53	43.56	14.37	8.51	9.07	967.77

3. वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेण्ड अवशेष धनराशि को समायोजित करते हुये उपरोक्त जनपदवार तालिका में अंकित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी है एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 275.00 प्रति चश्मा की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उन आयुवर्ग के बच्चों के लिये अवमुक्त की जा रही है जो बच्चें राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हो रहें है। अतः जिला अंधता नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग उक्त आयुवर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत टीमों के माध्यम से चश्मा वितरण में करेगें।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अन्तर्गत टी0ओ0आर0 के अनुसार ही सुनिश्चित की जाये।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों मे निम्न मुख्य गतिविधियां सम्पादित की जानी है :

FMR Code – I.1.1 मोतियाबिन्द ऑपरेशन एन0जी0ओ0 क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा रू 1000/आपरेशन की दर से।

FMR Code – B.16.2.11.4A मोतियाबिन्द ऑपरेशन राजकीय क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा रू 450/ आपरेशन की दर से।

FMR Code –I.1.2 मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा, विभिन्न रोगों हेतु निर्धारित दर से।

FMR Code –I.1.3 स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण रू0 275.00/केस की दर से।

FMR Code –I.1.4 राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग(रिफैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःषुल्क चष्मा वितरण रू0 100/चश्में की दर से।

FMR Code –I.1.5 नेत्र बैंको द्वारा कार्निया दान में प्राप्त कर प्रत्यारोपण रू0 2000 प्रति जोड़ी की दर से करना।

FMR Code –I.1.8 उपलब्ध नेत्रशल्यकिया के उपकरणों का वार्षिक रखरखाव के हेतु AMC प्रति जनपद रू0 200000/ से किया जाना है।

FMR Code – I.2.3 प्रदेश में प्रति जनपद एक नये विजन सेन्टर की स्थापना हेतु रू0 100000/ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code -I.4.1 में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र के कार्यालय में रू0 250000/ की धनराशि से 01 कम्प्यूटर, 01 यू0पी0एस0, 01 फोटोकॉपीयर कम स्कैनर,

मासिक कन्टेनजेन्सी तथा मासिक अन्य कार्यालय क्रय एवं व्यय आदि एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमावली के आधार पर जनपदों द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

FMR Code –B.30.3.4 में सम्बन्धित 17 जनपदों में 01 नेत्र शल्यक प्रति माह रू0 60000.00 की दर से वेतन एवं 11 जनपदों में प्रति माह रू0 66000.00 की दर से वेतन 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code –B.30.11.13 में सम्बन्धित 19 जनपदों में 01 नेत्र सहायक प्रति माह रू0 12600.00 की दर से वेतन एवं 09 जनपदों में प्रति माह रू0 12000.00 की दर से वेतन 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code –B.30.11.1 में सम्बन्धित 09 जनपदों में 01 नेत्र काउन्सलर प्रति माह रू0 15750.00 की दर से वेतन 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code –I.3.4 में सम्बन्धित 54 जनपदों में 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रति माह रू0 8400.00 की दर से 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है एवं सम्बन्धित 21 जनपदों कों आउटसोंसिग के माध्यम से कुल 4580.00 की धनराशि 12 माह हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

10. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा– निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय अंधता नियत्रंण कार्यक्रम में रिकरिंग मद में आवंटित धनराशि को अन्य रिकरिंग मद में जनपद द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन प्राप्त कर जनपद में उपरोक्त संसाधनानुसार अनुपात कें परिवर्तन कर धनराशि वित्तीय नियमों के अनुरुप व्यय की जा सकती है।

11. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

12. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

13. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

15. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

16. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

17. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCB/01/2017–18/ 11027-75 (9) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0